#### RCS-A/006/00089/2015

# न्यायालय— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0) {समक्ष—अमित कुमार गुप्ता}

व्यवहार वाद क0 52 ए/2017 संस्थित दिनांक 12.08.15

- 1. कमलकिशोर आयु 39 साल पुत्र गनेशराम
- विजयकुमार आयु 36 साल पुत्र रामदास समस्त जाति जाटव, निवासीगण जामना रोड वार्ड क0 24 भिण्ड म0प्र0

.....वादीगण

### विरुद्ध

- महावीर पुत्र हिरविलास आयु 25 साल जाति जाटव निवासी ग्राम सिनोर तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- सुनील शर्मा पुत्र शिवचरन शर्मा जाति ब्राम्हण
  निवासी ग्राम सिनोर तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 3. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड म0प्र0
- शीलादेवी पुत्री मनीराम पत्नी रामगोपाल जाटव निवासी हाल ग्राम मकरेटा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- राजाबेटी बेवा पत्नी हरविलास जाटव
  निवासी ग्राम सिनोर परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- श्रीमती लालीबाइ पुत्री हरविलास जाति जाटव
  निवासी ग्राम गोवई पोस्ट बिल्हेटी जिला ग्वालियर म0प्र0

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दाताराम बंसल। प्रतिवादी क0 1 व 3 पूर्व से एकपक्षीय। प्रतिवादी क0 2 द्वारा अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कांकर। प्रतिवक्0 4, 5 व 6 द्वारा अधिवक्ता श्री जी०एस० गुर्जर।

### <u>:::: निर्णय ::::</u> (आज दिनॉक 28.03.2018 को उद्घोषित)

यह वाद वास्ते स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा तथा विक्रय पत्र दिनांक 24.06.2014 को वादीगण के हितों के प्रतिकूल शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराए जाने बावत् भूमि सर्वे क0 294 रकबा 0.54 हे0 के 1/3 भाग अर्थात रकबा 0.18 हे0 स्थित मौजा सिनोर तहसील गोहद जिला भिण्ड (जिसे अत्र पश्चात् ''विवादित भूमि'' कहा जायेगा), के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

वाद पत्र के सुसंगत अभिवचन संक्षेप मे इस प्रकार से हैं कि विवादित भूमि के वादीगण रकबा 0.18 हे0 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्यधारी है। उक्त भूमि को प्रति०क० 1 के बाबा मनीराम पुत्र खोजीराम निवासी ग्राम सिनोर से वादीगण ने दिनांक 29.01.2013 को 1,45,800 / –रूपये प्रतिफल देकर क्रय किया और कब्जा प्राप्त किया तभी से वादीगण विवादित भूमि के स्वामित्व व आधिपत्यधारी हो गए। जब वादीगण ने पटवारी से नामांतरण करने के लिए कहा तो पटवारी ने बताया कि उनका नामांतरण हो चुका है। विकय पत्र करने के बाद प्रति0क0 1 के बाबा मनीराम की मृत्यु हो गयी तब प्रति0क0 1 ने बदनियती से विवादित भूमि व अन्य भूमियों जो मनीराम की थी, उनका वादीगण के हक में विक्य पत्र को छिपाकर स्वयं मनीराम का वारिस बताकर अपने नाम अवैधानिक रूप से नामांतरण पंजी क0 4 दिनांक 15.11.13 व आदेश दिनांक 23.12.13 के माध्यम से अपना नामांतरण विधि विरुद्ध रूप से करा लिया और नामांतरण कराकर वादीगण को हैरान व परेशान करने के लिए वादीगण के हक व कब्जे की खरीदी हुई भूमि को हडपने के उद्देश्य से बिना वादीगण की जानकारी के दिनांक 24.06.14 को प्रतिवादीगण के पक्ष में दिखावटी व अधिकार विहीन विक्रय पत्र निष्पादित करा दिया जो कि वादीगण के विक्रय पत्र के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है। विवादित भूमि रकबा 0.54 के 1/3 में प्रतिवादी कृ0 4 शीलादेवी के पिता एवं प्रति0क0 5 राजाबेटी के ससुर तथा प्रति०क० 6 लीलाबाई के बाबा मनीराम विवादित भूमि के भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी थे जिनसे वादीगण ने बतौर प्रतिफल 1,45,800 / – रूपये में विवादित भूमि का अपने हक में वयनामा कराया और तब से ही वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रति०क० ४, 5 व 6 का विवादित भूमि पर न तो कोई स्वत्व व अधिकार था और न हीं हैं, उन पर विक्रय पत्र बाध्यकारी है। प्रतिवादीगण प्रतिक0 1 से मिलकर वादी को हैरान व परेशान करने के लिए दूरिंग संधि कर कार्यवाही कर रहे हैं। यह भी अभिवचन किया कि प्रतिवादी क0 1 को प्रति०क0 2 के हक में विवादित भूमि का विक्रय पत्र करने का कोई अधिकार नहीं था और उक्त कथित विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण कराने का भी प्रतिवादी को अधिकार नहीं था। इस प्रकार से उनके द्वारा की गयी कार्यवाही वादीगण को परेशान करने के लिए विधि विरूद्ध एवं हितों के प्रतिकूल शून्य व निष्प्रभावी है। दि० 25.06.15 को जब वादीगण अपनी जमीन जुतवा रहे थे तो प्रतिवादीगण ने आकर धौंस दी कि भूमि प्रति०क० 2 सुनील शर्मा को विक्रय कर दी है, अब वही खेती करेंगे तब वादीगण ने तहसील गोहद में आकर विक्य पत्र एवं नामांतरण पंजी की जानकारी प्राप्त की जिससे पता चला कि प्रति०क० 2 ने अधिकार विहीन विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण करा लिया है। वाद प्रस्त्ति के साथ साथ राजस्व न्यायालय में भी वादीगण ने अपील कर दी है जो कि संचालित है। अतः वादीगण ने वाद के माध्यम से स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा तथा विक्रय पत्र दिनांक 24.06.14 को उनके हितों के प्रतिकूल, शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराने की सहायता चाही है।

है।

4. प्रतिवादी क0 2 ने जबाव दावा प्रस्तुत कर वादपत्र के अभिवचनों का प्रत्याख्यान करते हुए अभिवचन किया कि विवादित भूमि के सर्वे क0 294 रकबा 0.54 के 1/3 भाग का वयनामा वादीगण ने मनीराम से कराए जाने की कोई जानकारी प्रतिवादी को नहीं हैं और विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं हैं, बल्कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा है और खेती हो रही है। प्रति0क0 1 को कर्जा पटाने के लिए रूपयों की आवश्यकता थी इसी कारण प्रतिवादी क0 2 से 4,50,000 रूपये लेकर गवाहों के समक्ष रिजस्टर्ड विकय पत्र निष्पादित कराकर विवादित भूमि का कब्जा सौंप दिया तब से प्रति0क0 2 की खेती हो रही है और राजस्व अभिलेख में भी नामांतरण कराया। कथित दिनांक 25.06.15 को वादीगण से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। वादीगण भिण्ड में निवास करते हैं जबिक प्रतिवादी ग्राम सिनौर का निवासी है। वादीगण ने न्यायशुल्क कम प्रस्तुत की है और मूल्यांकन कम किया है। इस कारण से वाद प्रचलन योग्य नहीं हैं। अतः वाद सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की

3

- 5. प्रति०क० 4 लगायत 6 द्वारा प्रथक से जबाव दावा प्रस्तुत कर अभिवचन किया कि मनीराम को अकेले विकय करने का अधिकार नहीं था क्योंकि प्रतिवादीगण शीलाबाई मनीराम की पुत्री है, राजाबेटी पूर्व मृत पुत्र हरविलास की पत्नी होकर पुत्रबधू है तथा लालीबाई हरविलास की पुत्री है जिन्हें जन्म से ही उक्त भूमि में अधिकार प्राप्त हैं। प्रति०क० 1 को अकेले अपने पक्ष में नामांतरण कराने का कोई अधिकार नहीं था अतः उसके पक्ष में हुआ नामांतरण आदेश दिनांक 23.12.13 विधि विरूद्ध है। उक्त नामांतरण के आधार पर किया गया विकय पत्र भी शून्य है। आपित्त के रूप में अभिवचन किए थे। खोजा पुत्र जुल्ली के नाम से ग्राम सिनौर में कृषि भूमि व जायदाद थी जो उनके मरने के बाद मनीराम, गनेशराम तथा रामदास के पुत्र होने से प्राप्त हुई। मनीराम के एक पुत्र हरविलास व एक पुत्री शीलाबाई थी। मनीराम के जीवनकाल में पुत्र हरविलास फौत हो गए जिनकी पत्नी राजाबेटी तथा पुत्री लालीबाई कानूनन सहदायिक होने से भूमि में समान रूप से हक रखती हैं। मनीराम के नाम से धारित भूमि में आधे भाग की शीलाबाई तथा आधे भाग की मनीराम के पुत्र हरविलास की विधवा राजाबेटी हरविलास की पुत्री लीलाबाई व पुत्र महावीर वारिस हुए। इसिलए महावीर के द्वारा अकेले किए गए अंतरण निरस्त योग्य है।
- 6. उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद प्रश्न निम्नानुसार विरचित किये गये, जिनका निष्कर्ष विवेचन उपरांत उनके समक्ष दिया जायेगा—

丣0	<u>वाद-प्रश्न</u>	<u>निष्कर्ष</u>
1	क्या भूमि सर्वे क0 294 रकबा 0.54 हे0 में से 1/3 भाग रकबा 0.18 हे0 स्थित ग्राम सिनोर तहसील गोहद जिला भिण्ड पर	''साबित''
	वादीगण का स्वत्व है ?	
2	क्या वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है ?	''साबित'
3	क्या विवादित भूमि का प्रति०क० 1 के द्वारा प्रति०क० 2 के पक्ष में	''साबित''
	किया गया विक्रय पत्र दि० २४.०६.१४ वादीगण के हक तक	

### Filing no 2303009772015

#### RCS-A/006/00089/2015

वादीगण के मुकाबले शून्य है ?

- 4 क्या प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में **''प्रतिवादी कमांक 2 हस्तक्षेप हेतु** हस्तक्षेप करने हेतु प्रयासरत हैं ? **प्रयासरत हैं**''
- 5 क्या वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क संदाय किया है ?

6 स्हायता एवं व्यय ?

'' कण्डिका 14 के अनुसार आज्ञप्त किया गया।''

### सकारण निष्कर्ष

7. प्रकरण में वादीगण की ओर से स्वयं वादी विजयकुमार वा०सा० 1, यशवंतिसंह वा०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है जबिक प्रतिवादीगण की ओर से शीलादेवी प्रति०सा० 1, सुनील शर्मा प्रति०सा० 2, आशीष शर्मा प्रति०सा० 3, अशोक शर्मा प्रति०सा० 4 को परीक्षित कराया गया। दस्तावेजों में वादीगण की ओर से धारा 80 सीपीसी का सूचनापत्र प्र०पी० 1, डाक रसीद प्रपी० 2, विकय पत्र दिनांक 24.06.14 की प्रमाणित प्रति प्र०पी० 3, नामांतरण पंजी क० 8 आदेश दि० 14.08.14 प्रमाणित प्रति प्र०पी० 4, नामांतरण पंजी क० 4 आदेश दिनांक 13.12.13 प्रमाणित प्रति प्र०पी० 5, अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण 62/2014—15/अपील माल की आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रति प्र०पी० 6 व 7, अपील मेमो प्र०पी० 8, अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण 61/2014—15/अपील माल की आदेश पत्रिका प्र०पी० 9 व 10, अपील मेमो प्रपी० 11, विकय पत्र दिनांक 29.01.13 की प्रमाणित प्रति प्र०पी० 12 प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण की ओर से विकय पत्र दिनांक 24.06.14 की प्रति प्र०डी० 1, भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्र०डी० 2, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 गोहद के प्रकरण क्रमांक 27/16 ए इ०दी० में पारित निर्णय दिनांक 09.05.17, आज्ञप्ति प्र०डी० 3 व 4 के रूप में प्रस्तुत किए हैं।

### //<u>वाद प्रश्न क0 1 व 3 का निष्कर्ष</u>//

8. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु उक्त वादप्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। वादीगण की ओर से अभिवचनों की पुनरावृत्ति शपथपत्रीय साक्ष्य में की गयी है। वादप्रश्नों को प्रमाणित करने का दायित्व वादीगण पर था। उनकी ओर से यह साक्ष्य प्रस्तुत की है कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी मनीराम पुत्र खोजे थे, जिन्होंने सर्वे क0 294 रकबा 0.54 हे0 में अपना 1/3 हिस्सा जर्ये रिजस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.01.2013 को वादीगण को बतौर प्रतिफल 1,45,800/—रूपये प्राप्त कर निष्पादित किया था। उक्त तथ्य को प्रमाणित किए जाने के संबंध में विकय पत्र प्र0पी0 12 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी कमांक 4 लगायत 6 ने विवादित भूमि के स्वामी स्व0 खोजे के होने, तत्पश्चात विवादित भूमि के स्वामी मनीराम पुत्र खोजे होने के आधार पर संयुक्त रूप से अपने भाईयों के साथ स्वत्व व आधिपत्यधारी होने का अभिवचन किया है तथा पैत्रिक संपत्ति होने के कारण सहदायिकी के आधार पर विवादित भूमि में प्रति0क0 1 के साथ साथ अपना भी अंश होने का अभिवचन किया है। उक्त अभिवचन को प्रमाणित किए जाने के

5

संबंध में प्रति०गण की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जो विवादित भूमि स्व0 खोजे के स्वामित्व की होने के संबंध में न्यायालय के समक्ष तथ्य प्रकट करता हो। वादी की ओर से अवश्य नामांतरण पंजी कमांक 4 प्र0पी0 5 प्रस्तुत की है जिसके माध्यम से प्रति०क० 1 के पक्ष में नामांतरण दिनांक 23.12.13 को होने का उल्लेख है। इस प्रकार से दस्तावेजों के आधार पर विवादित भूमि के पूर्व स्वामी मनीराम के होने का तथ्य स्पष्ट हो रहा है। शीलादेवी प्रति०सा० 1 प्रतिपरीक्षण में किण्डका 6 में स्वीकार करती है कि उनके पिता जब जीवित थे तो उन्होंने वादीगण के पक्ष में विकय पत्र किया था।

- 9. प्रकरण में प्र0पी0 12 के विक्य पत्र के अस्तित्व को स्व0 मनीराम के उत्तराधिकारी के रूप में प्रति0क0 4, 5 व 6 ने स्वीकार किया है। जहां तक प्रति0क0 2 का प्रश्न हैं तो उसने वादीगण के पक्ष में किए गए विक्य पत्र प्र0पी0 12 की जानकारी उन्हें न होने का अभिवचन किया है। इस प्रकार से प्र0पी0 12 के विक्य पत्र को असत्य प्रमाणित किए जाने के संबंध में कोई भी चुनौती प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रतिवादीगण में से किसी ने यह भी आपत्ति नहीं की है कि प्र0पी0 12 का विक्य पत्र कथित स्व0 मनीराम के द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है और न ही स्व0 मनीराम के निष्पादन चिन्ह को कोई चुनौती दी गयी है। सर्वोत्तम साक्षी प्रति0क0 4 लगायत 6 हो सकते थे, वे भी शीला प्रति0सा0 1 के रूप में उनके पिता स्व0 मनीराम द्वारा किए गए विक्य पत्र के तथ्य को भलीभांति स्वीकार करती हैं। ऐसे में उक्त स्वीकृति स्व0 मनीराम एवं उनके हित प्रतिनिधियों के प्रति बाध्यकर है। जानकारी का अभाव खण्डन की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि विवादित भूमि के स्वामी मनीराम द्वारा अपने जीवनकाल में वादीगण को प्र0पी0 12 के विक्य पत्र के माध्यम से विवादित भूमि में अपने अंश का विक्य किया था।
- 10. प्रति०क० 2 ने विवादित भूमि का 1/3 अंश प्रति०क० 1 द्वारा उसके पक्ष में अंतरित किए जाने का अभिवचन एवं साक्ष्य प्रस्तुत की है। प्रति०क० 2 के पक्ष में निष्पादित विकयपत्र दि० 24.06.14 प्रणी० 3 एवं प्र०डी० 1 के रूप में अभिलेख पर है। उक्त विकय पत्र के माध्यम से प्रति०क० 1 महावीर द्वारा प्रति०क० 2 के पक्ष में विकय किए जाने का उल्लेख किया गया है। चूंकि अभिलेख पर यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित भूमि के पूर्व स्वामी स्व० मनीराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्र०पी० 12 के विकय पत्र से वादीगण को विवादित भूमि सर्वे क० 294 का एक तिहाई रकबा 0.18 है० विकय कर दिया गया तो ऐसी दशा में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद प्रति०क० 1 द्वारा प्रति०क० 2 के पक्ष में किया गया विकय पत्र अधिकारिता विहीन एवं प्रति०क० 2 के पक्ष में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रकार से प्रति०क० 2 के पक्ष में निष्पादित विकयपत्र विवादित भूमि सर्वे क० 294 रकबा 0.54 के 1/3 भाग अर्थात 0.18 हे० के संबंध में वादीगण के हितों के प्रतिकूल होने से शून्य व निष्प्रभावी होना प्रमाणित पाया जाता है। तद्नुसार वादप्रश्न कमांक 1 व 3 का निष्कर्ष साबित के रूप में दिया जाता है।

## //वाद प्रश्न क0 2 व 4 का निष्कर्ष//

- 11 प्रकरण में वादीगण ने विवादित भूमि विकय पत्र प्र0पी0 12 के द्वारा क्रय किए जाने के संबंध में अभिवचन व साक्ष्य प्रस्तुत की। तत्पश्चात् स्व0 मनीराम की मृत्यु हो जाने के उपरांत प्रति0क0 1 द्वारा उसके पक्ष में कराए गए नामांतरण आदेश प्र0पी0 5, तत्पश्चात् प्रति0क0 2 द्वारा कराए गए नामांतरण आदेश प्र0पी0 4 की जानकारी मिलने के आधार पर उनके विरुद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने का तथ्य प्रकट किया है। प्र0पी0 6 लगायत 11 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का तथ्य अभिलेख पर है। वादीगण ने विवादित भूमि पर उनका शांतिपूर्ण आधिपत्य होना बताया है जिसकी पुष्टि स्वयं प्रतिवादी शीला प्रति0सा0 1 द्वारा अपने अभिसाक्ष्य की कण्डिका 6 में किया है और स्वीकार किया कि "यह बात सही है कि कमलिकशोर और विजयकुमार को मेरे पिता मनीराम ने 18 विस्वा जगह का वयनामा किया था। यह सही है कि उक्त 18 विस्वा जगह पर कमल किशोर और विजय कुमार की खेती हो रही है और शेष जमीन पर महावीर, लाली, राजाबेटी और मेरी खेती हो रही है और होष जमीन पर शांतिपूर्ण आधिपत्य होने का तथ्य स्वयं प्रतिवादी की साक्ष्य से पुष्ट हो रहा है।
- 12. प्रति०क० 2 ने तर्क प्रस्तुत किया है कि उसके पक्ष में नामांतरण आदेश प्र०पी० 4 हुआ था जिसमें वादीगण द्वारा कोई आपित्त नहीं की गयी थी इस कारण से विवादित भूमि पर उसका आधिपत्य है। जहां तक प्र०पी० 4 के नामांतरण आदेश का प्रश्न हैं तो वह राजस्व न्यायालय में चुनौती के अधीन हैं। साथ ही प्रकरण में जब विवादित भूमि का विक्रय पूर्व स्वामी द्वारा वादीगण के पक्ष में कर दिया गया था तो प्रति०क० 2 द्वारा विवादित भूमि को अन्य भूमि के साथ क्रय किए जाने का तथ्य स्वयं वादीगण के शांतिपूर्ण स्वत्व व आधिपत्य में हस्तक्षेप किए जाने की श्रेणी में आता है। प्रति०क० 1, प्रति०क० 2 के यहां मजदूरी का कार्य करता है, जैसा कि सुनील प्रति०सा० 2 ने किण्डिका 8 में स्वीकार किया है। ऐसी दशा में प्रति०क० 1 से मिलकर वादीगण के शांतिपूर्ण आधिपत्य में हस्तक्षेप का तथ्य साक्ष्य से स्पष्ट हो रहा है। अतः वादप्रश्न क० 2 का निष्कर्ष "साबित" तथा वादप्रश्न क० 4 का निष्कर्ष "प्रतिवादी कमांक 2 हस्तक्षेप हेतु प्रयासरत है," के रूप में दिया जाता है।

### //<u>वाद प्रश्न क0 5 का निष्कर्ष</u>//

13. प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से वादीगण के वाद के मूल्यांकन तथा न्यायशुल्क की अपर्याप्तता के संबंध में अभिवचन किए हैं। स्वीकृत रूप से यह अभिलेख पर है कि विवादित भूमि कृषि भूमि है जिसका भू राजस्व 4.50 रूपये नियत है जिसके एक तिहाई भाग का भू राजस्व 1.50 रूपये होते हैं। वादीगण ने 2 रूपये भूराजस्व के बीस गुना 40/-रूपये स्वत्व घोषणा हेतु मूल्यांकन कर 500/-रूपये न्यायशुल्क तथा स्थाई निषधाज्ञा हेतु 40/-रूपये कुल 540/-रूपये न्याय शुल्क प्रस्तुत की है। प्रति०क्० 2 का अभिवचन हैं कि वादीगण ने विक्रय पत्र प्र०पी० 3/प्र०डी० 1 को उनके हितों के प्रतिकूल शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराने की सहायता चाही है जिसका प्रतिफल

10

7

मूल्य 4,50,000 / – रूपये है जिसके अनुसार वादीगण को मूल्यांकन कर न्यायशुल्क प्रस्तुत करनी चाहिए थी। प्र0पी0-3/प्र0डी0 1 के विकय पत्र में वादीगण न तो स्वयं पक्षकार हैं और न हीं वे पक्षकार के हित प्रतिनिधि के माध्यम से दावा कर रहे हैं। ऐसी दशा में उन्हें उक्त विक्रय पत्र के प्रतिफल मूल्य के आधार पर वाद मूल्यांकन करने तथा मूल्यानुसार न्यायशुल्क प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं। यदि वे विक्रय पत्र में पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि होते तो इस प्रकार से उन्हें मूल्यांकन एवं न्यायशुल्क प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 5 का निष्कर्ष "हाँ" के रूप में दिया जाता है।

### सहायता एवं व्यय

उपरोक्त विवेचन के आधार एवं तथ्यों व साक्ष्य की अधिप्रबलता के आधार पर वादीगण विवादित भूमि सर्वे क0 294 रकबा 0.540 हे0 के एक तिहाई भाग अर्थात 0.18 हे0 स्थित मौजा सिनोर तहसील गोहद जिला भिण्ड के संबंध में वाद सारतः प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः निम्नानुसार आज्ञप्ति दी जाती है-

अ—वादीगण सर्वे क0 294 रकबा 0.540 हे0 के 1/3 भाग के संयुक्तः स्वामित्व व आधिपत्यधारी हैं।

ब-प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में हुआ विक्रय पत्र दिनांक 24.06.2014 विवादित भूमि पर वादीगण के स्वत्व के मुकाबले शुन्य व निष्प्रभावी है।

स-वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी क0 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है कि प्रति०क० 2 न तो स्वयं और न हीं अपने हित प्रतिनिधि के माध्यम से विवादित भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप करेगा और न हीं करावेगा।

द-उभय पक्षों का वाद व्यय प्रतिवादी क0 1 व 2 वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार, जो भी कम हो, आज्ञप्ति में जोड़ी जाये।

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

a (M.P.) निर्णय खुले न्यायालय में टंकित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(Amit kumar Gupta) Civil judge Class-1 Gohad distt.Bhind (M.P.)

(Amit kumar Gupta) Civil judge Class-1 Gohad distt.Bhind (M.P.)